



Neutral Citation No. - 2026:AHC:163848

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 4577 वर्ष 2026

नईम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : राजीव सिसौदिया, शशांक द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 449 सन् 2019, धारा 147, 148, 149, 188, 307, 332, 336, 353, 427, 504, 506, 151, 436, 304, 120-बी, 109, 153-ए आई.पी.सी. तथा धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम एवं धारा 2/3 लोक संपत्ति क्षति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निवारण अधिनियम, थाना नहटौर, जनपद बिजनौर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और जांच के दौरान उसका नाम प्रकाश में आया है। आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों को सामान्य भूमिका सौंपी गई है। घायल को कथित रूप से आई चोटें साधारण प्रकृति की हैं। आगे प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त मुन्ना @ फरमान एवं मोहम्मद जैद को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा क्रमशः दिनांक 27.05.2026 एवं 08.05.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 4788 सन् 2026 एवं 2423 सन् 2026 में पारित आदेशों द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया तथा इस मामले में आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान मामले में आवेदक की अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का तीन मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे शपथपत्र के अनुच्छेद संख्या 19 तथा अनुपूरक शपथपत्र के अनुच्छेद संख्या 2 में स्पष्ट किया गया है। अंत में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने तथा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित होने का वचन देता है। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के पक्ष पर विवाद नहीं किया है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की परस्पर विरोधी दलीलों को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

6. इस मामले में आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने जांच में सहयोग नहीं किया। आवेदक की अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

7. **अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई , (2022) 13 एससीसी 764** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार प्रतिपादित किया है:-

"11. उपर्युक्त का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि धारा 170 दं.प्र.सं. के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट के लिए यह मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसे निर्धारित किया गया है। मजिस्ट्रेट अथवा संज्ञान लेने या अभियुक्त का विचारण करने के लिए सशक्त न्यायालय को आरोप-पत्र तत्काल स्वीकार करना होगा और धारा 173 दं.प्र.सं. में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। यह उचित रूप से प्रतिपादित किया गया है कि ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को अनिवार्य रूप से समन की प्रक्रिया जारी करनी चाहिए, न कि गिरफ्तारी का वारंट। यदि वह गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे धारा 87 दं.प्र.सं. में परिकल्पित कारणों को अभिलिखित करना होगा कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है अथवा समन का पालन नहीं करेगा या समन की विधिवत तामील के प्रमाण के बावजूद उपस्थित होने से इंकार कर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चुका है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियां सावधानी बरतने की प्रकृति की हैं।

12. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है और धारा 170 दं.प्र.सं. के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में की गई टिप्पणियां ऐसे अभियुक्त के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त हैं, जो गैर-जमानती अपराध में अभियुक्त है और जिसकी जांच की अवधि के दौरान अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह उचित है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि जांच के दौरान उसकी गिरफ्तारी न किया जाना अथवा उसे अभिरक्षा में प्रस्तुत न किया जाना ही उसे जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी बनाने के लिए पर्याप्त है। इसका आधार संक्षेप में यह है कि यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से स्वतंत्र रहा है और जांच के दौरान उसकी गिरफ्तारी भी नहीं की गई है, तो केवल आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के कारण अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना और उसे कारावास में भेजना जमानत प्रदान करने के नियंत्रक सिद्धांतों के विपरीत होगा। हम इससे अधिक सहमत नहीं हो सकते।"

8. अतः अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांतों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय में यह आवेदक को मामले के विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए उपयुक्त मामला है।

9. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक- **नईम** को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करें।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा निष्पक्ष विचारण के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; तथा

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

10. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/जांच अधिकारी/प्रथम सूचनादाता-शिकायतकर्ता आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

05 अगस्त, 2026

नितेंद्र